भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 100/तमिलनाडु-वि.स/1/2017 **दिनांक: 7 अप्रैल, 2017**

नोटिस

यत:, आयोग ने दिनांक 09 मार्च, 2017 को 11- डा० आर.के.नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधान सभा के उप-निर्वाचन आयोजित कराने के कार्यक्रम की घोषणा की है और उक्त तारीख से ही पूरे चेन्नई जिले में आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी) के उपबंध लागू हो गए हैं; और

यत:, दिनांक 16.03.2017 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 150 के अधीन उक्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों से अपेक्षा की गई थी कि वे रिक्ति को भरने के लिए एक सदस्य को निर्वाचित कर दें; और

यत:, आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई है कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (पुराची थलाईवा अम्मा), मूल एआईएडीएमके का अलग हुआ एक ग्रुप जिसे "बिजली का खम्भा" प्रतीक आबंटित किया गया था, ने दीवार पोस्टरों और सोशल मीडिया में यह दावा किया है कि उनका प्रतीक "दो लैम्प" है, यह इस आशय से किया गया था कि मतदाताओं के मस्तिष्क में यह प्रभाव रहे कि आयोग ने उन्हें पार्टी के मूल प्रतीक अर्थात् "दो पत्तियां" के समान प्रतीक आबंटित किया है; और

यत:, आयोग ने मामले की और जांच की तथा पोस्टरों एवं सोशल मीडिया संदेशों को देखा और यह पाया कि उक्त शिकायत में वास्तविकता है; और

यत:, पैरा 1(4) उपबंधित करता है कि सभी अभ्यर्थी और दल ईमानदारी से ऐसी सभी गतिविधियों से दूर रहेगें जो भ्रष्ट आचारण हैं और विद्यमान विधि के अधीन अपराध हैं; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (4), जो कि निम्न अनुसार है के अधीन गलत सूचना का प्रचार-प्रसार या मतदाताओं को भ्रमित करना एक भ्रष्ट आचारण है:-

"किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचारण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है"; और

यत:, निर्वाचनों में किसी प्रकार के मिथ्या विवरण का प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), और धारा 171 छ के अधीन निर्वाचकीय अपराध है ;और

यत:, इस मामले में पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस दिनांक 31.3.2017 जारी किया गया और पार्टी ने अपना प्रारंभिक जवाब दिनांक 2.4.2017 जमा कर दिया और पार्टी ने उन सब दस्ताबेजों और शिकायतों की मांग की जिनके आधार पर आयोग ने नोटिस जारी किया था ताकि वे आयोग के समक्ष विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर सकें। पार्टी ने आयोग के किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करने से इंकार किया है और कहा कि वे केवल पार्टी प्रतीक के उचित दृश्य विवरण अर्थात् "बिजली का खम्भे" के दोनों तरफ "दो लैम्पों" के साथ मतदाता को शिक्षित करना चाहते थे; और

यत:, आयोग का यह विचार है कि दो पत्तियों पर अध्यारोपित दो लैम्प के साथ इलेक्ट्रिक पोल सहित सोशल मीडिया मैसेज अपलोड करना और पोस्टर प्रदर्शित करने जैसा पार्टी का कार्य मतदाताओं को शिक्षित करना नहीं अपितु

उन्हें आयोग द्वारा प्रतीक आबंटित करने के बारेमें भ्रमित कर रहा है, अत: यह अवांद्वित और अनुचित है चूंकि किसी भी प्रकार से "दो पत्तियों" का प्रयोग अथवा इस संबंध में किसी विषयगत/दृश्य विज्ञापन का प्रदर्शन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

अत:, अब आयोग ने पार्टी के जवाब सें संतुष्ट न होने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि पार्टी ने अपनी शासकीय वेबसाइट और अन्य मीडिया पर "दो पत्तियों" 'फ्रोजन सिंबल' का छिपे तौर पर प्रयोग करके, आयोग के विधिक निदेशों का अनुपालन नहीं किया है और इसलिए आयोग ने अत्याधिक अप्रसन्नता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि पार्टी को इस संबंध में विधिक निदेशों और अन्य अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए तथा इसे अपनी शासकीय वेबसाइट, सोशल मीडिया से "दो पत्तियां" प्रतीक हटा कर दिनांक **08.04.2017** को अपराह्न **04:00**बजे तक अनुपालन रिर्पोट प्रस्तुत करनी चाहिए।

आदेश से

(तपस कुमार)
वरिष्ठ प्रधान सचिव

श्री ई.मधुसूदनन
ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम
(पुराची थलाईवा अम्मा) ग्रुप
सं.41 कोथान्दा रामन स्ट्रीट,
चेन्नई-600021.
तमिलनाडु।